फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली जिला उदयपुर(राज.)

प्रार्थी श्री नाथुलाल बनाम श्रीमती भेरा

किस्म मुकदमा : 212 R.T.Act पत्रावली संख्या : 31/23 (प्रा.पत्र)

क्रम संख्या	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाये जो जारी की गई ।
	दिनांक : 31.07.2023 पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। अधिवक्ता श्री रोशनलाल डांगी द्वारा प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का दस्तावेजात के पेश कर विपक्षीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाने का निवेदन किया। हमनें अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर मनन किया। दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थीगण के अधिवक्ता को सुना। प्रकरण में वर्णित तथ्यों एवम दस्तावेजात के आधार पर प्रकरण आवश्यक प्रकृति का प्रतीत होता है। अतः प्रकरण में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की जारी की जाती है कि **मौजा लदानी पटवार हल्का लदानी की आराजी नम्बर 144, 145 किता 2 रकबा 2.5899 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 738, 740 किता 2 रकबा 0.1376 हेक्टेयर एवं आराजी नम्बर 732, 733, 737, 744 किता 4 रकबा 0.4614 हेक्टेयर भूमि में विपक्षीगण आगामी पेशी/जवाब पेश होने तक वादग्रस्त आराजीयात के रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे।** विपक्षी सं. 1 से 14 को हुक्म ईमतनाई आरजी मजरिया जारी हो। पत्रावली ... तलबी विपक्षीगण दिनांक 24.08.2023 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Upendra Kumar Sharma
Date: 2024.02.15 10:16:11 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) मावली

प्रार्थी

नाथूलाल

हेमराज

24/8/23
पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अर्पीलाण्ट/प्रतिवादी/विपक्षी/रेस्पो. उपस्थित/पीठासीन अधिकारी महो. आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 26/10/23 ....को पेश हो

26/10/23
पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अर्पीलाण्ट/प्रतिवादी/विपक्षी/रेस्पो. उपस्थित/पीठासीन अधिकारी महो. आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग में पधारें है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 05/1/24 ....को पेश हो

05/01/24

पत्रावली पेश हुई। अधि. प्रार्थी उप.। विपक्षी सं. 1 से 3, 7 से 12 के नोटिस बाद तामील प्राप्त, अनु-बे। विपक्षी सं. 4, 6 के नोटिस अदम तामील प्राप्त, पुनः जारी हो। पत्रावली वास्ते [illegible] 4 से 6, 14 दिनांक 30/01/24 को पेश हो।

30/01/24

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण मय प्रार्थीगण अनुपस्थित। अधिवक्ता मय प्रार्थीगण को आवाजे दिलवाई गई। समय सांय 5:00 PM हो चुके हैं। अनुपस्थित हैं। अतः अधिवक्ता मय प्रार्थीगण अनुपस्थित रहने पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता हैं। पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा [illegible] जाती हैं। पत्रावली [illegible] शुमार होकर [illegible] में जमा हो।

निर्णय सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट) (फास्ट ट्रेक) मावली
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Upendra Kumar Sharma
Date: 2024.02.15 10:16:11 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) मावली